न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 90/2019 (2019/00119) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. फफी बेवा चुना कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नाराणी पुत्री चुना कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रकाश पिता गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता रोड़ा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मुलचन्द पिता लेहरू तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मानसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

1. सुनील बाफना– अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 12.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम टोकरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 85 में वर्णित आराजी संख्या 939 रकबा 1.53 हैक्ट. कुल किता 1 कुल रकबा 1.53 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 15.06.2019 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 03.07.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 से 9 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोकरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 85 में वर्णित आराजी संख्या 939 रकबा 1.53 हैक्ट. कुल किता 1 कुल रकबा 1.53 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.12.19

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 90/2019 (2019/00119) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. फफी बेवा चुना कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नाराणी पुत्री चुना कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रकाश पिता गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता गंगाराम कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता रोड़ा तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मुलचन्द पिता लेहरू तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मानसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :– तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगणो के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 12.12.2019 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोकरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 85 में वर्णित आराजी संख्या 939 रकबा 1.53 हैक्ट. कुल किता 1 कुल रकबा 1.53 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 100/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 300/–रूपये सम्बधित भू– अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगणों की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्क्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

12.12.19

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.21 14:41:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: